हुक्म ...

तारीख हुक्म	
10/03/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील को भेजी हो। पालना प्राप्त होने पर आवश्यक पत्रावली। मा० बाद पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

...रण संख्याः 03 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. किशनाराम पुत्र सूजाराम
2. पांचाराम पुत्र सूजाराम
3. भागीरथराम पुत्र सूजाराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आसूराम पुत्र नारणाराम
2. रूपाराम पुत्र नारणाराम
3. विरधाराम पुत्र नारणाराम
4. रामाराम पुत्र नारणाराम
5. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
6. जयकिशन पुत्र रूपाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द
8. कालीदेवी पत्नी रामचन्द
9. हनुमानराम पुत्र रामचन्द
10. जगदीश पुत्र रामचन्द
11. भगवानाराम पुत्र गदूराम
12. भजनलाल पुत्र रामचन्द्र
13. विरधाराम पुत्र गदूराम
14. चौथाराम पुत्र उदाराम
    जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. भारू पुत्र पोकरा
16. रूपा पुत्र पोकरा
17. विरमा पुत्र पोकरा
18. रेखा पुत्र रतना
19. श्रवण पुत्र रतना
20. धनी पत्नी रतना
21. गुमनाराम पुत्र रतना
22. हीरा पुत्र रतना
    जाति जाट निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी
23. मीरोदेवी पत्नी जीवाराम जाति कलबी निवासी बारूडी
24. अमराराम पुत्र बनाराम
25. पांचाराम पुत्र वनाराम
26. सोनीदेवी पत्नी वनाराम
27. पुरखा पुत्र भूराराम
28. तारी पत्नी भूरा
29. नानजी पुत्र सादुलाराम
30. पूनमा पुत्र सादूलाराम
31. भूपा पुत्र सादूलाराम
32. मसरा पुत्र जोरा फौत के कायममुकाम
    32/1 रमेश पुत्र मसरा
    32/2 इन्द्रा पत्नी मसरा
33. लूंगा पत्नी जोरा
34. बींजला पुत्र हरजीराम
35. ओखा पुत्र हरजीराम
36. सुरता पुत्र हरजीराम
37. खेमाराम पुत्र भावाराम
38. जबराराम पुत्र भावाराम
39. जोगाराम पुत्र भावाराम
40. नरीगाराम पुत्र भावाराम
41. लूंगो पत्नी भावाराम
42. जेरूपा पुत्र मेघा

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

...ता पुत्र मेघा
...टीपू पत्नी वनाराम
...ना पुत्र लखमणा
46. विरमा पुत्र लखमणा
47. भेरा पुत्र रूपा
48. रता पुत्र रूपा
49. शोना पुत्र रूपा
50. आम्बाराम पुत्र लधूराम
51. भगवानाराम पुत्र लधूराम
52. माधाराम पुत्र होथीराम
53. सावलाराम पुत्र विरधाराम
जाति रबारी निवासी जूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
54. एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
55. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बारूडी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 9.4696 हैक्टेयर किस्म बा.सो. का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम बारूडी के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 9.4696 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी